

केन्द्रों का आदेश लगाया गया। उक्त आदेशों के आदेशों के अधीनस्थ अर्थात्
कुम्हार, लकड़वा, लकड़वा, लकड़वा 2142 दिनांक 05.08.2015 से
व्यवस्थापक कर दिया गया।

प्रस्तावित बांध के मामले में जिला प्रशासन (पदाधिकारी, पटना) के द्वारा अंगनवाड़ी सेविका अर्थात् कुम्हार से न तो कारण पूछा की मांग की गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। यह मांगदारी की कड़िका-11 एवं नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। लकड़वा जिला प्रशासन (पदाधिकारी, पटना) से पत्र संख्या 1851 दिनांक 14.10.2016 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि शापक 2142 दिनांक 05.08.2015 से निम्न व्यवस्थापक आदेश अर्थात् अर्थात् एवं मांगदारी का उल्लेख है, इसलिए यह व्यवस्थापक आदेश खारिज करने योग्य है।

अतएव जिला प्रशासन (पदाधिकारी, पटना) के आदेश शापक 2142 दिनांक 05.08.2015 को रद्द करने हेतु बांध को प्रतिबंधित (Reinwand) किया जाना है। जिला प्रशासन (पदाधिकारी, पटना) को आदेश दिया जाना है कि पदाधिकारी को सूचनाकर नियमावली विधि समानांतर मूखर आदेश पारित करें।
इसी के साथ बांध की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

11-26
पदाधिकारी एवं निदेशक
श्रीमती
संज्ञाहित एवं सहायित।

11-26
पदाधिकारी एवं निदेशक
श्रीमती
संज्ञाहित एवं सहायित।

न्यायालय समाह्वान एवं विना दण्डाधिकारी, पटना
 आँगनवाड़ी अधीन वाद संख्या-52/2015-16
 अर्चना कुमारी बगम राज्य एवं अन्य

2/11

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की को
 संख्या एवं
 दिनांक

2

आदेश

प्रस्तुत वाद अर्चना कुमारी, लकनौन साहिका, पति-दिवानकर

वि. आँगनवाड़ी कन्द-लगरपुर तथा टोला, काँड रो-97, पिन+पता-843

विना-पटना से विना प्रथम पदाधिकारी, पटना के आदेश संपाक

2142/वि0910, पटना दिनांक-05.08.2015 से सयमसुवका (आदेश) के विरुद्ध

u/s 10(7) of Guide Line 2011 के संशोधन आदेश, समान कल्याण विभाग,

बाँर सरकार के पक्षिका ICDS/50030/22-2012/3226 दिनांक-11.08.2015 के

अन्तर्गत दिनांक-04.09.2015 का आँगनवाड़ी अधीन आवदन दाखिल किया गया

है।

अभिलेख परिशीलन किया। दिनांक-02.11.2017 के

अपीलवाली के विरुद्ध अभिलेख की प्रतिलिपि के विरुद्ध पर सुनकर प्रतिलिपि की

गई। निम्न न्यायालय के अभिलेख मागत हुए आगली दिनांक 07.12.2017 निर्धारित

की गई। निम्न न्यायालय के अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 06.03.2018

को अपीलवाली के विरुद्ध अभिलेख को रटना और अभिलेख में उपलब्ध

कोटावाली को अवलोकन किया।

विना प्रथम पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1486/वि0910,

पटना दिनांक-08.08.2016 एवं प्रगरी पदाधिकारी, विधि शाखा, पटना के पत्रांक

1489/विधि दिनांक-23.11.2016 से प्राप्त पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि

अपीलवाली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C 11072/2016

दाखिल है जिसके Present status की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसके

अनुसार 27 फरवरी, 2018 को Case पत्रा संख्या से विना प्रया है।

विना प्रथम पदाधिकारी, पटना के आदेश संपाक-2142

दिनांक-05.08.2015 के द्वारा अनुसूचल पदाधिकारी, बाँड के पत्रांक-1051/पिन0

दिनांक-03.08.2015 एवं बाँड विचार परिशोधन पदाधिकारी, बाँड के पत्रा

सं-436 दिनांक-04.08.2015 के आधार पर आँगनवाड़ी कन्द रो 97, लगरपुर

तथा टोला के कई महिलाओं से बन्द करने एवं टी.एच.आर. विवरण नहीं

आदेश पर की
 गई कार्रवाई के
 लिए संविधान
 अधिनियम